"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 217] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 अगस्त 2010—श्रावण 15, शक 1932

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त, 2010 (श्रावण 15, 1932)

अधिसूचना

क्रमांक-8853/विधान/2010.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 4 अगस्त, 2010 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शेखर दत्त, राज्यपाल, छत्तीसगढ़, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ की तृतीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र, का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से करता हूं.

स्थान : रायपुर
दिनांक : 4 अगस्त, 2010

शेखर दत्त
राज्यपाल, छत्तीसगढ़."

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.